

फर्द अहकाम

(नियम 23)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर

किरम मुकदमा 177 Act तल्लीलदार बनाम ईर
 नं. 48/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय-इनिशियल्य जज	नम अ इस हुक् में
<p>13/01/22</p> <p>08/03/22</p>	<p>वकुलाब अनुपरिचित। आज वकील पेश करने का निमत लिया गया है अतः पेशी इत्तया लया 08/03/22 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर</p> <p>पज/वली पेश हुई। पज/वली पेशोका उपस्थित / उपजली सुनु. जली को पक्षित अवसर देने के साबूद श्री P/F नोटिस पेश नहीं किये है। ऐसी स्थिति में P/F नोटिस पेश नहीं करने से जलनियम नोटिस 05 अल के कल खारिज किया जाता है। पज/वली फसल शुमाद होक कम्बर से रुक है।</p>	<p>✓</p> <p>S. P. O.</p>